



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29062021-227988
CG-DL-E-29062021-227988

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2420]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 29, 2021/आषाढ़ 8, 1943

No. 2420]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 29, 2021/ASHADHA 8, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2021

का.आ. 2611(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ., जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मिजोरम राज्य के लुंगलेई जिले में NH 302 के कि.मी. 39.246 से कि.मी. 57.641 (डिप्टी कमिश्नर काम्प्लेक्स, वेंगलई, लुंगलेई) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 7 जून, 2021 को "हलीमथला" और "जोछियार" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

मिजोरम राज्य के लुंगलेई जिले में NH 302 के कि.मी. 39.246 से कि.मी. 57.641 (डिप्टी कमिश्नर काम्प्लेक्स, वेंगलई, लुंगलेई) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: मिजोरम			जिले का नाम: लुंगलेई		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: लुंगसेन					
गांव का नाम: छुमखुम					
1	GLSC G-40/2013	निजी	ड्राई	0.6915385	लप चुऔथुआमा ()
2	GLSC G-57/2013	निजी	ड्राई	0.2491999	जोहमिंगथांग ()
3	PP 151/2006	निजी	ड्राई	0.6139967	क. हरंगकीमा ()
4	PP 153/2006	निजी	ड्राई	0.5585059	सिआलंगना ()
5	PP 250/1977	निजी	ड्राई	0.434436	रुअल्हणुदाला ()
6	PP 95/2005	निजी	ड्राई	0.418357	ज़ोडिन्गलिआना हनमते ()
7	VC HP 15A/2009	निजी	ड्राई	0.0967008	रेमरुआतसंगा ()
8	VC HP 9/2008	निजी	ड्राई	0.1512866	जड लालहंगै:ज़ुएला ()
9	VCG 27CK/2008	निजी	ड्राई	0.8013099	जोहमिंगथांग ()
10	VCG 43CK/2008	निजी	ड्राई	0.193062	जोहमिंगथांग हनमते ()
11	VCG 58CK/2008	सरकारी	ड्राई	0.584222	एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ()
			कुल	4.7926153	

[फा. सं. NHIDCL/PMU-Lunglei/Lunglei-Tlabung/NH-302/04/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th June, 2021

S.O. 2611(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH 302 on the stretch of land from Km. 39.246 to Km. 57.641 (Deputy Commissioner Complex , Venglai , Lunglei) in the district of LUNGLEI in the state of MIZORAM

And whereas the substance of the said notification has been published in “Hlimthla” and “Zochhiar” both dated 7th June, 2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH 302 in the stretch of land from Km. 39.246 to Km. 57.641 (Deputy Commissioner Complex , Venglai , Lunglei) in the district of LUNGLEI in the state of MIZORAM.

State: MIZORAM		District: LUNGLEI			
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Lungsan				
	Village: Chhumkhum				
1	GLSC G-40/2013	Private	Dry	0.6915385	LP. Chuauthuama
2	GLSC G-57/2013	Private	Dry	0.2491999	Zohmingthanga
3	PP 151/2006	Private	Dry	0.6139967	K. Hrangkima
4	PP 153/2006	Private	Dry	0.5585059	Sialngena
5	PP 250/1977	Private	Dry	0.434436	Rualhnudala
6	PP 95/2005	Private	Dry	0.418357	Zodingliana Hnamte
7	VC HP 15A/2009	Private	Dry	0.0967008	Remruatsanga

8	VC HP 9/2008	Private	Dry	0.1512866	ZD. Lalmangaihzuala
9	VCG 27CK/2008	Private	Dry	0.8013099	Zohmingthanga
10	VCG 43CK/2008	Private	Dry	0.193062	Zohmingthanga Hnamte
11	VCG 58CK/2008	Government	Dry	0.584222	Agriculture Department
			TOTAL	4.7926153	

[F. No. NHIDCL/PMU-Lunglei/Lunglei-Tlabung/NH-302/04/3D]

RAJESH GUPTA, Director